

कार्यालय उप जिलाधिकारी डोईवाला।

संख्या-436 / एस0टी0 / 2022

दिनांक-06 सितम्बर, 2022

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

विषय- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के कुल 19.8345 हे० में से 0.3049 हे० भानियावाला के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक-753/डी०एल०आर०सी०-2021 दिनांक-25.07.22 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, उक्त के अनुपालन में अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक-01.09.2022 को आयोजित की गयी। तत्क्रम में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की मूल रिपोर्ट मय संलग्नक आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,


06/09/22
(युक्ता मिश्र)

उपजिलाधिकारी
डोईवाला।

प्रतिलिपि:-

1- परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।


उपजिलाधिकारी
डोईवाला।

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 20.600 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी - डोईवाला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, डोईवाला,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील- डोईवाला) की दिनांक 01.09.22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री युक्ता मिश्र उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री युक्ता मिश्र उपजिलाधिकारी डोईवाला (देहरादून) अध्यक्ष
2. श्री अनिल सिंह रावत उप प्रभागीय सदस्य
3. श्री अदेश कुमार सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री राजेश भट्ट बी०डी०सी० क्षेत्र वन प्रभाग

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०)

अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि मे से 0.3049 है० भूमि भानियावाला-2बी बडकोट रेंज के अन्तर्गत आती है। यह कि कुल भूमि 19.8345 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुंशसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदा का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध मे अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक मे सर्वसम्मति से उपखण्ड डोईवाला, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

6/9/22
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- डोईवाला
जनपद-देहरादून

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6/9/22
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- डोईवाला
जनपद-देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पोस्टाई ०१०-कमन्स विभाग, देहरादून

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

देहरादून।

संख्या:- 493/एस0पी0ए0- /विविध पत्रा0 2022

दिनांक 17 अगस्त, 2022

विषय-

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला देहरादून से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी0 0.000 से किमी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देहरादून को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त विषयक सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उक्त बैठक में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत तहसील ऋषिकेश की 03 ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये, अनापत्ति प्रमाण मूल रूप में संलग्न कर महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

17/8/22

उपजिलाधिकारी,

ऋषिकेश।

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश

प्रतिलिपि - परि निदेशक, NHAI, देहरादून।

परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० 10-बसन्त विहार, देहरादून

84

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 20.600 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी - ऋषिकेश

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-ऋषिकेश) की दिनांक 08/01/22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री बोलेन्द्र सिंह नेगी उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

5. श्री बोलेन्द्र सिंह नेगी उपजिलाधिकारी ऋषिकेश (देहरादून) अध्यक्ष
6. श्री रमेश चन्द्रावरण उप प्रभागीय उप क्षेत्राधिकारी सदस्य
7. श्री सहज प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी
8. श्री विजय प्रसाद बी०डी०सी० क्षेत्र विकास अधिकारी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०)

अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदा का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।



उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— ऋषिकेश,
जनपद—देहरादून
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— ऋषिकेश,
जनपद—देहरादून


परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
ब्लॉक-2010-वर्तमान विभाग, देहरादून